

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व मन्माणा

भू अभिलेख निरीक्षक

करेड़ा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मन्माणा पटवार हल्का मन्माणा तहसील करेड़ा

व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्बत् 2015+0/2018

में खाता संख्या 297

में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	मन्माणा	297	श्री श्री उदा गुजर जि० मन्माणा	श्री श्री रामा गुजर जि० मन्माणा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 14/11/22

क्रमांक/न्यायालय /2022/301

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री श्री रामा गुजर जि० मन्माणा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
करेड़ा जिला भीलवाड़ा